03 निष्प्रयोज्य जनरेटरो की नीलामी की सूचना एवं शर्ते

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–821/Admin (B-I) Sec. Dated: Allahabad: March, 18 2023 तथा 3198/Admin(B-I) Sec. Dated: Allahabad: October, 16 2023 के प्रकाश में सेन्ट्रल नाजिर की रिपोर्ट दिनांकित–1.12.2023 पर पारित माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक–8.01.2024 के अनुपालन में निष्प्रयोज्य 03 जनरेटरो की पुनः नीलामी दिनांक–7.02.2024 समय अपरान्ह 1:30 बजे जनपद न्यायालय सोनभद्र के परिसर में करायी जायेगी। नीलामी में भाग लेने एवं नीलामी संबंधी अन्य जानकारी के लिए नजारत अनुभाग , जनपद न्यायालय सोनभद्र में सम्पर्क किया जा सकता ।

इच्छुक व्यक्तियों की नीलामी की तिथि को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक का निर्धारित नगद सुरक्षा/जमानत की धनराशि नजारत अनुभाग में जमा करने के उपरान्त ही (डिफॉल्टर व्यक्ति को छोड़कर) नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होगा तथा उच्चतम बोली वाले व्यक्तियों की बोली स्वीकार होने की दशा में एक सप्ताह के अन्दर सुरक्षा धनराशि को सम्मिलित करते हुये नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि नजारत अनुभाग में जमा करना होगा, ततपश्चात् जनरेटर ले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। अन्यथा सुरक्षा/जमानत की धनराशि जब्त करके द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को यह अवसर दे दिया जाएगा। नीलामी की निम्नलिखित शर्ते होगीः–

1. यह कि शर्तो को यदि द्वितीय पक्ष पालन नही करता है तो उसके द्वारा जमानत धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी निरस्त होने पर हर्जाना यथास्थिति अवशेष धनराशि की सीमा तक द्वितीय पक्ष से वसूल कर लिया जायेगा।
2. यह कि उपरोक्त नीलामी से उत्पन्न सम्पूर्ण विवाद के सन्दर्भ में एक मात्र क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को ही होगा।
3. यह कि नीलामी की शर्तो का पालन न करने पर एवं हुई हानि की वसूली पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करके लैण्ड रेवेन्यू की तरह धन वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
4. यह कि उपरोक्त रूप में प्राप्त नीलामी के बावत शर्तो के उलंघन की दशा में युक्ति–युक्त सुनवाई के अवसर के अधीन नीलामी निरस्तीकरण का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश,सोनभद्र का होगा।

03 जनरेटरो की विवरण जिनकी नीलामी की जानी हैः–

क0 सं0	जनरेटर का नाम/विवरण	नीलामी की न्यूनतम निष्प्रयोज्य धनराशि	सुरक्षा धनराशि
01	न्या0 सिविल जज जू0डि0 दुद्धी स्थित अश्व शक्ति 5 केवीए जनरेटर सेट	13937.00 (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	5000.00
02	मुंसफी खण्ड स्थित अश्व शक्ति 7.5 केवीए किर्लोस्कर जनरेटर सेट	29476.80 (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	5000.00
03	मुंसफी खण्ड स्थित अश्व शक्ति 10 केवीए जनरेटर सेट	32841.00 (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	5000.00

नोटः–

1. जिन व्यक्तियों के नाम काली सूची में है वे बोली बोलने के लिए अधिकृत नहीं होगे।
2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए बोली नहीं बोलेगा।
3. नीलामी की बोली की शर्त मंजूर करने पर ही कोई व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी होगा।
4. बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार **जनपद न्यायाधीश सोनभद्र** को होगा।
5. दिवीलिया घोषित व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी नही होगा।
6. विधि अनुसार संविदा करने में सक्षम व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी होगा।

(अचल प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सदस्य
नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय सोनभद्र

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर जनपद न्यायाधीश
एफ.टी.सी (सीएडब्ल्यू)
सदस्य
नीलामी समिति

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश पोक्सो
अध्यक्ष
नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र